02/05/25

[illegible] अपील दायर की है। तथा रेस्पोन्डेन्ट नं. 7 की
[illegible] नहीं की गई है। तथा रेस्पोन्डेन्ट नं. 7 की
तरफ से भी अधिवक्ता नहीं लिखे हैं।
अपील निरस्त करते हैं। पक्षकार [illegible] पर
[illegible] हैं। विपक्षी [illegible] के पक्ष में आदेश
किया गया तत्पश्चात अपील [illegible] अतीत
हो चुका है। परन्तु अपीलार्थी ने तो रेस्पोन्डेन्ट नं. 7 की
तरफ से कोई नोटिस नहीं है नहीं रेस्पोन्डेन्ट 03 के
[illegible] की कार्यवाही की गई है। अतः अपील
अपीलार्थ 09 R 05 के तहत डिफॉल्ट में खारिज
की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
[illegible] कर दी। हाल पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)